न्यायालय जिला कलक्टर (आरबीट्रेटर), सिरोही

बईजलास श्री वी.सरवनकुमार, आई.ए.एस.

प्रार्थना-पत्र संख्या 23/2012

प्रार्थी

1-श्री वेरसिंह पुत्र वचनसिंह जाति राजपूत निवासी उथमण जिला सिरोही ।

बनाम

विपक्षीगण

1.सक्षम प्राधिकारी (उपखण्ड मजिस्ट्रेट), सिरोही ।

2.नेशनल हाईवे ऑथोरिटी जरिये प्रोजेक्ट डायरेक्टर नेशनल हाईवे ऑथोरिटी ऑफ इन्डिया पाली ।

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 3(जी)(5) नेशनल हाईवे एक्ट

उपस्थिति :-

1.श्री प्रमोद कुमार दवे, अधिवक्ता प्रार्थी ।

2.नायब तहसीलदार पेरेकार सरकार अप्रार्थी सं. 1

3.श्री पी.सी.जैन अधिवक्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अप्रार्थी सं. 2

न्यायालय जिला कलक्टर सिरोही (राज०)

निर्णय

दिनांक : 12.12.2015

प्रार्थी ने यह प्रार्थना-पत्र धारा 3(जी) (5) नेशनल हाईवे एक्ट के तहत अप्रार्थीगण के विरूद्ध ब्यावर पिण्डवाडा चार लेन चोडी करने में अवाप्त भूमि का मुआवजा कम मिलने से असहमत होकर माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 के तहत् आरबीट्रेशन की कार्यवाही हेतु प्रस्तुत किया । प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये एवं अभिलेख तलब किया गया । अप्रार्थी संख्या 2 नेशनल हाईवे ऑथोरिटी जरिये प्रोजेक्ट डायरेक्टर नेशनल हाईवे ऑथोरिटी ऑफ इन्डिया पाली की और से जवाब प्रस्तुत किया गया ।

दोनों पक्षों की बहस सुनी गई । प्रार्थी के लायक अधिवक्ता एवं अप्रार्थी संख्या 2 के लायक अधिवक्ता पी.सी.जैन एवं नायब तहसीलदार पेरेकार सरकार की बहस सुनी गई । प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया गया कि अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग ब्यावर-पिण्डवाडा के [illegible] बनाने हेतु प्रस्तावित मार्गाधिकार में आने वाली भूमि की अवाप्ति के संबंध में [illegible] में प्रार्थी की भूमि भी अवाप्त की गई है ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhanwar Lal
Date: 2022.12.15 17:26:35 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

अवाप्त भूमि पर स्थित सम्बन्धित हितधारको के स्वामित्व की सम्पति का मूल्यांकन परियोजना निदेशक भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण पाली के आदेशानुसार निजी फर्म द्वारा प्रस्तुत तकनीकी मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर मुआवजा राशि निर्धारित की गई, प्रार्थी उक्त अवार्ड से सन्तुष्ट नही है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा क्लेम में वर्णित तथ्यो व उस पर की गई चर्चा व बहस को अवार्ड में कन्सीडर नही किया, जिससे अवार्ड त्रुटि पूर्ण है। बची हुई भूमि के उपयोग में कमी को ध्यान में नही रखा व उसका मुआवजा नही दिलाया ।

प्रार्थी की भूमि आवासीय/वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ बहुमुल्य भूमि है एवं उसके आस-पास कई प्रतिष्ठान वगेरा होने से डीएलसी द्वारा तय की गई कीमत से कई गुणा अधिक कीमत की है। लेकिन प्रार्थी द्वारा आवासीय/वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ बहुमुल्य भूमि के कई प्रमाण सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत किये परन्तु उन पर गौर नही किया गया एवं मौका नही देखा गया । प्रार्थी की भूमि कार्नर भूमि थी, पंजीयन एंव मुद्राक विधि निर्देशिका के धारा 4(ख) के अनुसार कार्नर भूमि की कीमत 10 प्रतिशत अधिक माने जाने का प्रावधान है । इस संबन्ध में उनके द्वारा विधिक दृष्टांत आरएलडब्ल्यू 2006 (1) पेज 388, डीएनजे(एस.सी) 2007 पेज 289, आरडीडी 2006(8) पेज 4420 एवं आरएलडब्ल्यू 2005 (5) पेज 559 प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया उक्रोक्त विधिक दृष्टांत इस प्रकरण में लागु होते है अतः प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर, उक्त अनिनियम में वर्णित सिद्धान्त अनुसार निर्धारित दर से मुआवजा क्लेम दिला कर अनुग्रहित करावे।

अप्रार्थी संख्या-2 नेशनल हाईवे ऑथोरिटी जरिये प्रोजेक्ट डायरेक्टर नेशनल हाईवे ऑथोरिटी ऑफ इन्डिया पाली के लायक अधिवक्ता श्री पी.सी जैन द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया कि सक्षम प्राधिकृत अधिकारी का अवार्ड किस रूप में किस दस्तावेज के आधार पर कितनी राशि हेतु स्वीकार किये जाने का है। इस सम्बन्ध में तनिक भी कथन उल्लेखित नही किया गया है, और न अपने क्लेम में स्पष्ट रूप से आधार सहित दृर्शित किया नही गया है, न कोई अभिलेख प्रस्तुत हुआ है। सक्षम प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष जो भी अभिलेख व तथ्य प्रस्तुत हुए उनका विधि संगत निस्तारण करते हुए अवार्ड पारित किया गया है जिसमें किसी भी तरह की तथ्यात्मक या विधिक चुक या त्रुटि नही रही है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम की धारा 3-ए के विधिक प्रावधानों के तहत अधिसूचना प्रकाशित की जाकर आपत्तियां आमन्त्रित की गई और अधिनियम की धारा 3-सी के तहत आपत्तियों का निस्तारण किया जाकर अधिनियम की धारा 3-डी के अनुसार अद्घोषणा जारी की गयी। समस्त कार्यवाहियों विधिक प्रावधानों के तहत पूर्ण की गई है, जिसे किसी कार्यवाही के जरिये चुनौती दी जाने की अधिकारिता नही दी जा सकती है और अपनायी गयी प्रक्रिया सक्षम प्राधिकृत अधिकारी के विधिक कर्तव्यो के अधीन रहते हुए सभी को अवसर प्रदान किया जाकर जब उद्घोषणा के जरिये आपत्तियां आमन्त्रित की गई और उन आपत्तियो का जो भी प्राप्त हुई है उनका निस्तारण किया गया है। ऐसी दशा में प्रार्थी का यह कथन कि

न्यायालय जिला कलेक्टर, सिरोही

जिला कलेक्टर, सिरोही

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhanwar Lal
Date: 2022.12.15 17:46:35 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

उसके द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर उपलब्ध नही रहा, मिथ्या कथन है। इस सम्बन्ध में उनके द्वारा लीज प्रोपट्री के सम्बन्ध में निम्नांकित विधिक दृष्टांत 1987 एआईआर पेज 151,1974 एआईआर पेज 591, 1996 एआईआर पेज 3149 व 3347,

1994(5) एससीसी पेज 239 व 1997 एआईआर पेज 2669, Solatium and Interest के सम्बन्ध में विधिक दृष्टांत 1996(6)एससीसी पेज 44, 1994(4) एसीसी पेज 737, 1993(2) एससीसी पेज 149 पेश किए । दर एवं भूमि अवाप्ति अधिनियम के सम्बन्ध में 2006 (1)डब्ल्यूएलसी राज. पेज 474 प्रस्तुत की। दर एवं अधिसूचना के सम्बन्ध में 2006 (8) आरडीडी पेज 4420 (राज.) प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सक्षम प्राधिकृत अधिकारी द्वारा पूर्ण की गई कार्यवाही और पारित किये गए अवार्ड आदेश में किसी भी तरह का संशोधन, परिवर्तन या वृद्धि की कोई भी साक्ष्य नही होने से प्रार्थी का आवेदन निरस्त किये जाने योग्य है।

मैने दोनो पक्षो की सुनी गई बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अध्ययन एवं अवलोकन किया गया तो, मै इस निष्कर्ष पर पहुचता हूँ कि कॉम्पीटेन्ट ऑथोरिटी द्वारा प्रार्थी की अवाप्ताधीन भूमि के सम्बन्ध में जारी अवार्ड की पत्रावली में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत समस्त दस्तावेजात आवासीय/वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन आदेश का कोई उल्लेख एवं कोई स्पीकिंग आदेश जारी किया जाना नही पाया जाता है । सक्षम प्राधिकृत अधिकारी का अवार्ड किस रूप में किस दस्तावेज के आधार पर कितनी राशि हेतु स्वीकार किये जाने का है इस सम्बन्ध में स्पीकिंग आदेश देना चाहिए था।

अतः प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रार्थी द्वारा अवार्ड जारी करने के लिए प्रस्तुत समस्त दस्तावेजात को रेकर्ड पर लिया जाकर दिये गये आदेश/कार्यवाही को फर्द अहकाम (आर्डरशीट) में दर्ज किया जावें एवं दस्तावेजात का मूल से सत्यापन किया जावें मौके की स्थिति का सत्यापन करावें मौका देखा जाकर, दोनों पक्षों को सुनवाई का पूर्ण अवसर प्रदान करते हुए गुणावगुण के आधार पर धारा 3जी (7)(सी) एवं (डी) के तहत् मुआवजा राशि के सम्बन्ध में विधि में दिये गये प्रावधानों के अनुसार आदेश पारित किये जाकर प्रकरण का निस्तारण किया जावें । निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को पत्रावली भिजवायी जावे एवं एक प्रति अप्रार्थी संख्या 2 को भी पालनार्थ भिजवायी जावे । निर्णय आज लोक अदालत में सरे इजलास सुनाया गया ।

(वी.सरवन कुमार)
जिला कलक्टर,(आरबीट्रेटर)
सिरोही (राज0)

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhanwar Lal
Date: 2022.12.15 17:26:35 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner